परिशिष्ट - 02

क्षेत्रीय/सम्भागीय/जिला खेल अधिकारी की कर्तव्य तालिका

1- लोकसभा एवं विधानसभा प्रश्नों के सम्बन्ध में वांछित समस्त जानकारी सही व पूर्ण रूप से निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराना ।

2- माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के मानिटरिंग के प्रकरणों, माननीय विभागीय मंत्री, माननीय संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य आदि से प्राप्त प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करना ।

3- विभागीय बजट नियमानुसार तैयार कर योजना मण्डल द्वारा निर्धारित समय-सीमा व प्रक्रिया अनुसार यथासमय तैयार कर प्रस्तुत करना व स्वीकृतियां प्राप्त करना ।

4- विभाग द्वारा खेल और युवक कल्याण संबंधी समस्त गतिविधियों का जिला स्तर पर सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।

5- एकीकृत खेल प्रतियोगिता का आयोजन, प्रतिभाओं की खोज, पहचान एवं प्रशिक्षण एवं उनकी उपलब्धियों का रिकार्ड रखने हेतु प्रभावी कार्यवाही करना।

6- जिला स्तर पर विविध शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं द्वारा आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की उपलब्धि का रिकार्ड रखना व सुव्यवस्थित संधारण करना ।

7- भारत सरकार, भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा केन्द्र आदि द्वारा खेल एवं युवक कल्याण से सम्बन्धित संचालित समस्त योजनाओं की अद्यतन जानकारी रखना तथा इन योजनाओं का जिले में पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत करना तथा स्वीकृतियां प्राप्त कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।

8- भारतीय खेल प्राधिकरण, नेहरू युवा केन्द्र, आयुक्त, जिलाध्यक्ष, स्कूल, कालेज, आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारियों, विश्वविद्यालय, नगरनिगम तथा नगरपालिका व अन्य शासकीय व अर्द्धशासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय स्थापित कर जिले में खेल एवं युवक कल्याण गतिविधियों का सुचारू संचालन करना ।

9- विभागीय बजट का सही एवं यथासमय पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना ।

10- ग्रामीण/महिला खेल प्रतियोगिता का सामयिक आयोजन व इस हेतु विभिन्न विधाओं में योग्य खिलाड़ियों का सामयिक खोज, पहचान एवं प्रशिक्षण ।

11- ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन तथा खेल प्रतिभाओं की पहचान, चयन एवं प्रशिक्षण । विभिन्न विधाओं में इनकी उपलब्धियों का रिकार्ड का संधारण ।

12- राष्ट्रीय युवा पुरस्कार एवं राष्ट्रीय युवा मण्डल पुरस्कार हेतु व्यक्तियों/संस्थाओं के आवेदन-पत्र नियमानुसार प्राप्त कर प्रस्तुत करना ।

13- खेल, राष्ट्र निर्माण, युवक कल्याण एवं साहसिक गतिविधियों का संचालन कर रही स्वयंसेवी संस्थाओं की जानकारी रखना व उनसे समन्वय स्थापित कर उन्हें बढ़ावा देना।

14- क्षेत्रीय एवं सम्भागीय खेल अधिकारियों को निर्धारित रोस्टर के अनुसार सौंपे गये जिला कार्यालयों का यथासमय निरीक्षण पूर्ण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

15- खेल एवं युवक कल्याण गतिविधियों के गुणात्मक सुधार के लिए योजना तैयार करना व सुझाव प्रस्तुत कर नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।

16- जिला खेल एवं युवक कल्याण समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना तथा अधोसंरचना विकास व प्रतिभावान खिलाड़ियों की पहचान, खोज व प्रशिक्षण के लिए प्रभावी कार्यवाही करना ।

17- खेल एवं युवक कल्याण गतिविधियों से संबंधित विभागीय उपलब्धियों का मासिक प्रतिवेदन संचालनालय को प्रतिमाह प्रस्तुत करना ।

18- खेल एवं युवा नीति को लागू करने के लिए आवश्यक समस्त कार्यवाही करना ।

19- जिले में खेल गतिविधियों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की जानकारी एकत्रित करना व उसका अद्यतन संधारण करना ।

20- पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों, विभिन्न खेल संघ/संगठनों/संस्थाओं के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी रखना ।

21- जिले में कार्यरत खेल एवं यूथ क्लबों/संघों/संगठनों/महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय एवं शिक्षा विभाग तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर खेल एवं युवक कल्याण गतिविधियों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करना ।

22- खिलाड़ी/संघ/संगठन की समय-समय पर बैठकों का आयोजन करना ।

23- 'युवा संधि' व अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजित, संचालित व समन्वित करना।

24- जिले में जहां भी विभाग द्वारा अनुदान / वित्तीय सहायता दी गई हो, उसकी प्रगति आदि से अवगत रहना व विभाग को अवगत कराना ।

25- विभाग/संचालनालय/भारतीय खेल प्रधिकरण द्वारा दी गई खेल सुविधा/सामग्री का उत्तरदायित्व व उनके सही प्रयोग के विषय मे जागरूकता रखना ।

26- संचालक द्वारा सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वहन ।

28/1/2002
संचालक
खेल और युवक कल्याण म. प्र.
भोपाल

खेलकूद अधिकारी {मुख्यालय} की कार्यतालिका

1- टी.टी. नगर स्टेडियम के रखरखाव, सुरक्षा, स्वच्छता, मरम्मत प्रशिक्षण, आरक्षण एवं वहां तैनात प्रशिक्षकों, कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों/सदस्यों पर नियमानुसार आवश्यक नियन्त्रण सुनिश्चित करना । टी.टी. नगर स्टेडियम के आय-व्यय का ब्यौरा रखना, सदस्यों की संख्या का विवरण, विभिन्न विधाओं में दिये जा रहे प्रशिक्षण संबंधी संक्षिप्त जानकारी, प्रत्येक विधा में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित उपलब्धि, यदि कोई प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसकी विस्तृत जानकारी आदि की माहवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

2- स्टेडियम के विकास, सदस्यों की संख्या व आय में वृद्धि, आवश्यकतानुसार सक्षम प्रशिक्षकों की तैनाती, प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार और ज्यादा से ज्यादा खेलों में प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में तैयार करने हेतु योजना बनाना व उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ।

3- स्टेडियम से सम्बन्धित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी तथा निराकरण ।

4- टी.टी. नगर स्टेडियम में विभाग द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु कार्य करना ।

5- स्टेडियम में संचालित समस्त खेलों के उपस्करों के संबंध में आवश्यक जानकारी रखना व खेल उपस्करों व खेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु योजना तैयार कर प्रस्तुत करना व क्रियान्वयन हेतु पहल करना ।

6- भारत सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण की स्टेडियम/खेल विकास/प्रशिक्षण संबंधी समस्त योजनाओं की अद्यतन जानकारी रखना व तद्नुसार यथासमय प्रस्ताव तैयार कर उन योजनाओं के भरपूर उपयोग हेतु कार्य करना ।

7- विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का यथासमय आयोजन करना ।

8- प्रदेश के ओलम्पिक, एशियन एवं अन्तर्राष्ट्रीय, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी रखना ।

9- राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन के स्थान एवं समयावधि की जानकारी रखना ।

10- स्टेडियम/खेल मैदान स्थित जमीन पर अतिक्रमण रोकना व इस दिशा में यथासम्भव प्रयास के बाद भी अतिक्रमण होने की दशा में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करना व प्रगति से संचालक को समय-समय पर अवगत कराना ।

11- संचालक द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना ।

28/1/2002

संचालक
खेल और युवक कल्याण म. प्र.
भोपाल

सहायक संचालक की कार्यतालिका

1. खेल अकादमी/खेलग्राम के रखरखाव, सुरक्षा, स्वच्छता, मरम्मत प्रशिक्षण, आरक्षण तथा वहॉ तैनात प्रशिक्षकों, कर्मचारियों, प्रशिक्षणार्थियों/सदस्यों पर नियमानुसार आवश्यक नियंत्रण सुनिश्चित करना। खेल अकादमी/खेलग्राम के आय–व्यय का ब्यौरा रखना, सदस्यों की संख्या का विवरण, विभिन्न विधाओं में दिये जा रहे प्रशिक्षण संबंधी संक्षिप्त जानकारी, प्रत्येक विधा में प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित उपलब्धि, यदि कोई प्रतियोगिता में भाग लेकर पुरस्कार प्राप्त किया है तो उसकी विस्तृत जानकारी आदि की माहवारी रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
2. खेल अकादमी/खेलग्राम के विकास, सदस्यों की संख्या व आय में वृद्धि, आवश्यकतानुसार सक्षम प्रशिक्षकों की तैनाती, प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार और ज्यादा से ज्यादा खेलों में प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के उत्कृष्ट खिलाड़ी के रूप में तैयार करने हेतु योजना बनाना व उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
3. खेल अकादमी/खेलग्राम से सम्बन्धित समस्त न्यायालयीन प्रकरणों की प्रभावी पैरवी तथा निराकरण।
4. खेल अकादमी/खेलग्राम में विभाग द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु कार्य करना।
5. खेल अकादमी/खेलग्राम में संचालित समस्त खेलों के उपस्करों के संबंध में आवश्यक जानकारी रखना व खेल उपस्करों व खेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण हेतु योजना तैयार कर प्रस्तुत करना व कियान्वयन हेतु पहल करना।
6. भारत सरकार/भारतीय खेल प्राधिकरण की स्टेडियम/खेल विकास/प्रशिक्षण संबंधी समस्त योजनाओं की अद्यतन जानकारी रखना व तद्नुसार यथासमय प्रस्ताव तैयार कर उन योजनाओं के भरपूर उपयोग हेतु कार्य करना।
7. विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का यथासमय आयोजन करना।
8. प्रदेश के ओलम्पिक, एशियन एवं अन्तर्राष्ट्रीय, अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ियों के सम्बन्ध में अद्यतन जानकारी रखना।
9. राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन के स्थान एवं समयावधि की जानकारी रखना।
10. खेल अकादमी/खेलग्राम स्थित जमीन पर अतिक्रमण रोकना व इस दिशा में यथासम्भव प्रयास के बाद भी अतिक्रमण होने की दशा में तत्काल प्रभावी कार्यवाही करना व प्रगति से संचालक को समय–समय पर अवगत कराना।
11. संचालक द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करना।
12. खेल अकादमी/खेलग्राम के लिये आहरण संवितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन।

संचालक
खेल एवं युवा कल्याण, म.प्र.

युवक कल्याण अधिकारी की कर्तव्य तालिका

1- युवा संधि एवं अभियान के निहित उद्धेश्यों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक कार्य करना ।

2- शासन की युवानीति के अनुसार विभिन्न योजनाएं बनाना एवं उनके क्रियान्वयन हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

3- प्रदेश में स्वयंसेवी एवं युवक कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं की जानकारी व समन्वय रखना ।

4- प्रदेश के युवकों में साहस की भावना जागृत करने के उद्धेश्य से इस क्षेत्र में इच्छुक व्यक्तियों व संस्थाओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।

5- प्रदेश में यूथ हॉस्टल के निर्माण हेतु आवश्यक कार्यवाही करना ।

6- युवाओं में राष्ट्रीयता, एकता एवं अखण्डता के उद्धेश्य को दृष्टिगत रखकर युवा नेतृत्व प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन करना ।

7- विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति को समझने एवं आपस में भाईचारे की भावना को बल देने हेतु यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के अन्तर्गत अध्ययन यात्राएं आयोजित करना ।

8- साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं साहसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विभिन्न योजनायें बनाना तथा युवाओं को पुरस्कृत करना ।

9- भारत सरकार द्वारा युवाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भरपूर लाभ लेना ।

10- ग्रामीण क्षेत्र पर विभिन्न युवा क्लबों का गठन करने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना ।

11- केन्द्रीय शासन की 'यूथ अवार्ड' योजनान्तर्गत जिलों से प्रस्ताव बुलवाकर केन्द्रीय शासन को यथासमय भेजने के सम्बन्ध में कार्यवाही करना ।

12- विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा आयोजित साहसिक अभियानों में भाग लेने हेतु युवाओं को प्रोत्साहित करना ।

13- प्रदेश में युवाओं के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं व साहसिक गतिविधियों के मूल्यांकन करना व इनमें गुणात्मक सुधार हेतु सुझाव देते हुए आवश्यक कार्यवाही करना ।

14- विभिन्न स्तरों पर युवा उत्सव व साहसिक गतिविधियों के सामयिक आयोजन हेतु समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करना ।

15- विभिन्न विभागों द्वारा युवक कल्याण के क्षेत्र में किये जा रहे प्रयासों व साहसिकय गतिविधियों से अपने आपको भिज्ञ रखना तथा शासकीय योजनाओं की जानकारी सुगमता से युवाओं को उपलब करानें हेतु युवा मार्गदर्शन केन्द्रों का संचालन करना ।

16- संचालक द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य दायित्वों का निर्वाहन ।

संचालक 29/11
खेल और युवक कल्याण म. प्र.
भोपाल